

31/5/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 28/6/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

28/6/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 28/6/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

6/9/24

पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

28/11/24

पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

28/11/24 - पत्रावली पेश हुई। वादी आदि 02 पर प्रतिकारी आदि 03 पर प्रकरण साक्ष्यपत्रों हेतु दिनांक 18/11/24 को पेश की

18/11/24 - पत्रावली पेश हुई। वादी आदि 04 प्रतिकारी आदि 03 पर प्रकरण 200/- cost पर अंतिम अग्रपत्र दिये जा रहे हैं। पत्रावली साक्ष्यपत्रों हेतु दिनांक 11/11/25 को पेश की

7/1/25 पत्रावली पेश हुई। वादी वगण एवं वादी आदि अनुपादित वादी वगण एवं वादी आदि वगण के निष्पानुसार तीन बार भावार्जें लगावई गईं, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समग्र 5-58 1000 है चुका है। - जापारत में एक बार पुनः आवाज लगावई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी वगण एवं वादी आदि वगण के उपस्थित नहीं आते हैं वादी वगण गा जा रहा है। निर्णय सट इजलास सुनाया गया। रिक्ती प्रतीक लगी है। पत्रावली फौजल शुक्राह कोकर दायित्व दायता हो तथा नठबट से कम है।

सहायिका 25 टर
भील...

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. बाली देवी पत्नी कन्हैया लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मूलचन्द पुत्र कन्हैया लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. प्यारचन्द पुत्र कन्हैया लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. तोताराम पुत्र कन्हैया लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. सुशीला देवी पुत्री कन्हैया लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. गोदावरी देवी पुत्री कन्हैया लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. मन्जू देवी पुत्री कन्हैया लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. हेमा देवी पुत्री कन्हैया लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. नंद लाल पुत्र रामलाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. सुन्दर देवी पुत्री रामलाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. बदाम देवी पुत्री रामलाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. मांगी देवी पुत्री रामलाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. चांदी बेवा रामलाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र कजोड़ माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

प्रकरण संख्या 10/2014 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री कमलेन्द्र सिंह चारण अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 07.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा